

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2011- सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 20 ख में, कॉलम (3) में "01 अप्रैल, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर "31 मार्च, 2021" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फा.सं.-354/224/2017-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना सं. 27/2011- सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2011, को सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 30/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 20 मार्च, 2018 , जिसे सा.का.नि. 246 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।